स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना

(उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

महिला पोलीटेक्निक,ओल्ड आय.आय.एम.बिल्डिंग,राजेन्द्रनगर,इंदौर-9

क्रमांक - 320/08 दिनाँक-06/10/2008

प्रति,

आयुक्त,उच्चशिक्षा

म.प्र.शासन,सतपुड़ा भवन,पाँचवी मंजिल,भोपाल ।

विषय- कॅरियर प्रकोष्ठो की गतिविधियों एवं संग्रहित राशि के उपयोग के संबंध में ।

महोदय,

दिनांक- 3/10/2008 को आपके द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के संबंध में निम्नांकित कार्यवाही अपेक्षित है। इस संबंध में शासन ने समय-समय पर निर्देश भी जारी किये है। जिसे सुलभ संदर्भ के लिए पत्र में उललेखित किया गया है।

कार्यालय,आयुक्त,उच्चशिक्षा,मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक - 890/966/भोपाल दिनांक - 20/6/2007 एवं मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक-एफ44-34/2006/20-2 दिनांक-18/10/2006 के तहत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों एवं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र से 01 रू. प्रतिमाह रोजगार एवं शिक्षा में समन्वय शुल्क लिया जाना है।

- उक्त शुल्क से महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। जिनमें महाविद्यालयों एंव विद्यालयों में कार्यरत अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों को इस प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जाएगा। उपयुक्त यह होगा कि महाविद्यालय एवं विद्यालय के ही प्रशिक्षित कॅरियर काउंसलर को इसकी जिम्मेदारी दी जाए।
- मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए महाविद्यालयों एवं स्कूलों के भवन में पृथक से एक कक्ष आवंटित किया जाए,जिसमें कॅरियर लायब्रेरी एवं कॅरियर संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध हों।
- प्रकोष्ठ के बाहर प्रकोष्ट का बोर्ड आवश्यक रूप से लगाया जाए।
- कॅरियर मार्गदर्शन शुल्क से महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में वर्षभर कॅरियर मार्गदर्शन गतिविधियाँ संचालित की जावेगी। जिसमें महाविद्यालयों एवं स्कूलों में कॅरियर लायब्रेरी की स्थापना,कॅरियर सेल का निमार्ण एवं अन्य कॅरियर संबंधी गतिविधियों को संपन्न बनाने का प्रावधान किया जाएगा।
- कॅरियर लायब्रेरी में रोजगार एवं निमार्ण,रोजगार समाचार,प्रतियोगिता निदेर्शिका,कामपिटीशन सक्सेस रिव्यू,सामान्य ज्ञान दपर्ण,उद्यमिता तथा अन्य पत्र-पत्रिकाएँ अनुकुलता के आधार पर उक्त एक रूपये प्रतिमाह की दर से लिये जाने वाले शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

- संस्था द्वारा उक्त राशि को एकत्रित करने के उपरांत इस राशि का उपयोग मार्गदर्शन गतिविधियों पर खर्च करने में होगा। शेष राशि को संस्था अपने पास ही रखेगी। जिससे संस्था आगामी वर्षो के आवृत्ति व्ययों का भुगतान कर सके ।
- प्रकोष्ठ के बाहर प्रकोष्ठ के बोर्ड पर कॅरियर विषयक जानकारियॉं नियुक्तियों बाबद रिक्त पदों की सूचना तथा समय-समय पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं इत्यादि की सूचना विद्यार्थियों के संज्ञान के लिए चस्पा की जाएगी।
- कॅरियर प्रकोष्ठ से समय-समय पर विद्यार्थियों द्वारा चाहे गये आवेदन पत्रों अथवा अन्य निर्धारित प्रपत्रों को विद्यार्थियों को संस्थान के ही इंटरनेट से आवेदन फार्म डाउनलोड करके दिये जा सकते हैं। विद्यार्थियों से प्रतिप्रपत्र 05 रू. शुल्क लेकर प्रपत्र दिये जाने का प्रावधान किया जा सकता है।
- कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ को संचालित करने के लिए महाविद्यालय एवं विद्यालय स्तर पर स्टेयरिंग कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जा सकता है।

1. प्राचार्य -- अध्यक्ष
2. *प्रभारी एवं सदस्य सचिव -- अनुभवी प्राध्यापक/व्याख्याता/ प्रशिक्षित काउंसलर*
3. *प्रशासनिक सेवा से प्रतिनिधि -- सदस्य*
4. महाविद्यालय/स्कूल क्षेत्र में विभिनन विभागों में उपलब्ध, कृषि, उद्योग, पशुपालन, ग्रामीण विकास, चिकित्सा, उद्यमिता, बैंक आदि क्षेत्रों के प्रतिनिधि--सदस्य
5. सेवानिवृत प्राचार्य/प्राध्यापक/ व्याख्याता -- सदस्य

इस तरह इस स्टेयरिंग समिति में कुल 11 सदस्य नामांकित किये जा सकेंगे।

6/10/08

डॉ. पंकज त्रिवेदी
निदेशक